

कार्यालय- आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र०।

(जी०एस०टी०अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक 28 जुलाई 2025

कार्यालय आदेश (संशोधन)

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम (अधिनियम सं० 1 2017) की धारा 2(91) में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आयुक्त राज्य कर कार्यालय आदेश सं०-278 दिनांक 01/07/2017 के पृष्ठ '2' पर उल्लिखित तालिका में निम्नवत संशोधन करते हैं अर्थात्-

क) क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तंभ सं० 3 में वर्णित प्रविष्टि में अंकों '74' के पश्चात शब्द और अंक '74क' जोड़ दिये जायेंगे;

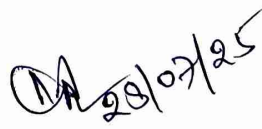
ख) क्रम संख्या 3 के सम्मुख स्तंभ सं० 3 में वर्णित प्रविष्टि में अंकों '74' के पश्चात शब्द और अंक '74क' जोड़ दिये जायेंगे;


(डॉ० नितिन बंसल)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृ०पत्र सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, राज्य कर उ०प्र० शासन।
2. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
4. अपर आयुक्त ग्रेड-1/ ग्रेड-2 उच्च न्याया०(कार्य) राज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ प्रयागराज।
5. मुख्यालय के समस्त अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, लखनऊ।
6. संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर, मुख्यालय को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्य)/(वि०अनु०शा०)/(का०नि०)कारपोरेट सर्किल / उच्च न्याया०(कार्य) सर्वोच्च न्याया०(कार्य) राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर।
9. समस्त उपायुक्त / सहायक आयुक्त / राज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर।


(मूल चन्द्र)

अपर आयुक्त ग्रेड-1(विधि/जी०एस०टी०),
राज्य कर उत्तर प्रदेश।